अतिमहत्त्वपूर्ण / फैक्स,

संख्याः–539 पी0 / छः–पु0–6–17–1176 / 2002

प्रेषक

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 16 सितम्बर, 2017

विषयः–अपराधियों को गिरफ्तार कराने तथा दण्ड़ित कराने के लिए सूचना देने पर पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः–1461 पी / 8–अनुभाग–6–1558 / 70 दिनांक 16.05.1972 एवं 217 पी / छः–पु0–6–1244 / 92 दिनांक 03 फरवरी, 1994 के अनुक्रम में जारी शासनादेश संख्याः 1961 पी / छः–पु0–6–09–1176 / 2002 दिनांक 04.11.2009 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपराधियों को गिरफ्तार कराने तथा दण्ड़ित कराने के लिए सूचना देने पर पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत प्राविधानित अधिकार काफी पुराने है। दी जाने वाली अधिकतम पुरस्कार की धनराशि पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए नगण्य है। अतः शासनादेश में विचारोपरान्त इस व्यवस्था को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है। अतएव इस मामले पर विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय पुरस्कार की धनराशि की स्वीकृत किये जाने हेतु निम्न अधिकार को इस शर्त के साथ प्रतिनिहित करते है कि पुरस्कार तभी स्वीकृत किया जाय जबकि उसके निमित्त उस वर्ष के आय–व्ययक में प्राविधान उपलब्ध हो:–

क्र0 सं0	वर्तमान व्यवस्था		प्रस्तावित व्यवस्था	
	स्वीकृति का स्तर	वित्तीय अधिकार	स्वीकृति का स्तर	वित्तीय अधिकार
1	प्रमुख सचिव / सचिव, गृह विभाग (पुलिस)	2,50,000 / –	प्रमुख सचिव / सचिव, गृह विभाग (पुलिस)	5,00,000 / – प्रति अपराधी
2	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश	50,000 / –	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश	2,50,000 / – प्रति अपराधी
3	अपर पुलिस महानिदेशक, जोन / पुलिस महानिरीक्षक, जोन	––	अपर पुलिस महानिदेशक, जोन / पुलिस महानिरीक्षक, जोन	1,00,000 / –प्रति अपराधी

4	पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र	15,000 / –	पुलिस महानिरीक्षक(अपराध) / पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र	50,000 / – प्रति अपराधी
5	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद	5,000 / –	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद	25,000 / – प्रति अपराधी

2– मुझे यह भी निवेदन करना है कि तात्कालिक प्रभाव से तद्नुसार पैरा–464 व 465 पुलिस रेग्युलेशन के प्राविधानों को संशोधित माना जाय।

3– यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ए–2–126 / दस–2017 दिनांक 16 सितम्बर,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्याः 539 (1)पी0 / छः–पु0–6–17–तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
5– वित्त (लेखा) अनुभाग–2
6– गृह (पुलिस) अनुभाग–1 / 7
7– गार्ड फाइल।
8– सूचना अधिकारी, गृह विभाग।

आज्ञा से

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।